2017 का विधेयक संख्यांक 6.

[दी पेमेंट्स ऑफ वेजेस (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिंदी अनुवाद]

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

5 (2) यह 28 दिसंबर, 2016 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

1936 के अधिनियम संख्यांक 4 की धारा 6 का प्रतिस्थापन ।

2. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

मजदूरी का चालू सिक्के या करेंसी नोटों में या चैक द्वारा या बैंक खाते में जमा करके संदाय किया जाना ।

"6. सभी मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी नोटों में या चैक द्वारा या कर्मचारी के बैंक खाते में मजदूरी जमा करके संदत्त की जाएगी :

10 परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका नियोजक ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को या तो चैक द्वारा या उसके बैंक खाते में मजदूरी जमा करके, मजदूरी का संदाय करेगा ।"

निरसन और व्यावृत्ति ।

3. (1) मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2016 निरसित किया जाता है । 2016 का अध्यादेश संख्यांक 9

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की हुई समझी जाएगी । 1936 का 4

5

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (अधिनियम) कतिपय वर्गों के नियोजित व्यक्तियों की मजदूरी के संदाय को विनियमित करता है । अधिनियम को अनेक बार संशोधित किया गया था और उसे वर्ष 2005 में अंतिम बार संशोधित किया गया था । अधिनियम की धारा 6 यह उपबंध करती है कि सभी मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी नोटों या दोनों में संदत्त की जाएगी । तथापि, उक्त धारा का परंतुक नियोजक को समर्थ बनाता है कि वह कर्मचारी को मजदूरी का संदाय उसका लिखित प्राधिकार अभिप्राप्त करने के पश्चात् या तो चैक द्वारा या उसके बैंक खाते में जमा करके, करे ।

2. समय के बीतने के साथ, प्रौद्योगिकी बदल गई है और नियोजित व्यक्तियों का एक बड़ा भाग अपने बैंक खाते रखता है । चैक के माध्यम से मजदूरी का संदाय या उसे नियोजित व्यक्तियों के बैंक खाते में जमा करने से डिजिटल और अल्प नकदी अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करने के अलावा, न्यूनतम मजदूरी के असंदाय या उसके कम संदाय के बारे में शिकायतों में कमी आएगी । आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल और हरियाणा की राज्य सरकारों ने अधिनियम में राज्य संशोधन करके नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी का संदाय या तो चैक द्वारा या उनके बैंक खाते में जमा करने के लिए उक्त अधिनियम में पहले ही उपबंध कर दिए हैं ।

3. सरकार ने यह आवश्यक समझा है कि वह मजदूरी संदाय अधिनयम, 1936 में संशोधन करने के लिए एक विधान लाए जिससे कि नियोजक को नियोजित व्यक्ति को मजदूरी या तो चैक द्वारा या उसे उसके बैंक खाते में जमा करके संदाय करने के लिए समर्थ बनाया जा सके और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापनों को विनिर्दिष्ट करने के लिए समुचित सरकार को भी समर्थ बनाया जा सके, जो प्रत्येक नियोजित व्यक्ति को, मजदूरी चैक द्वारा या उसे उसके बैंक खाते में जमा करके ही संदाय करेगा; और तदनुसार, मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2016 लोक सभा में 15 दिसंबर, 2016 को पुर:स्थापित किया गया था । तथापि, उक्त विधेयक को लोक सभा में विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए नहीं लिया जा सका ।

4. चूंकि संसद् के दोनों सदन सत्र में नहीं थे और यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी कि प्रस्तावित विधान के फायदे अतिशीघ्र नियोजित व्यक्ति तक पहुंचे, राष्ट्रपति ने 28 दिसंबर, 2016 को मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश प्रख्यापित किया था ।

5. अब, मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2016 को मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017 से प्रस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
17 जनवरी, 2017

बंडारू दत्तात्रेय

उपाबंध

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का अधिनियम संख्यांक 4) से उद्धरण

* * * * *

6. सभी मजदूरी चालू सिक्के या करेंसी नोटों या दोनों में दी जाएगी :

मजदूरी का चालू सिक्के या करेंसी नोटों में दिया जाना ।

परन्तु नियोजक, नियोजित व्यक्ति से लिखित प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात्, उसे मजदूरी का संदाय या तो चैक द्वारा कर सकेगा या फिर उसके बैंक खाते में जमा करके कर सकेगा ।

* * * * *

GMGIPMRND—4165LS(CRC)—20-01-2017.

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
3	24	अधिनियम	विधेयक
3	33	प्रस्थापित	प्रतिस्थापित